FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार .... बनाम .... गिरधारी

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–13 सन्–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज **मुकदमा नम्बर–13/2022**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.10.2022	पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम उकरूंद भूमि ख0न0 174/1948 रकबा 0.42 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 रास्ता पर गैर सायल गिरधारी उर्फ काडू पुत्र गिर्राज जाति मीना निवासी उकरूंद द्वारा पक्की दीवार एवं पानी की टंकी लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं गैर सायल द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि उसे अतिक्रमण चिन्हित कर बताया जाये जिससे की वह अतिक्रमण हटा सके। अतः राजस्व टीम का गठन कर अतिक्रमण चिन्हित किया गया, जो गैर सायल द्वारा अतिक्रमण किया गया था अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 0.88 रूपये का 50 गुणा 44 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है। बेदखली, वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा)	

रा0 ल0 स0 4 वर्ष 2022-23 की
पृ0 सं0 51 पर 44 रू
मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व लखाकार